भारत सरकार खान मंत्रालय भारतीय खान ब्यूरो क्षेत्रीय खान नियंत्रक का कार्यलय कर्मयोगी भवन, सेक्टर-10A, चतुर्थ माला, ब्लॉक-2 , सी विंग, गांधीनगर ई -मेल: gandhinagar.ibm@gmail.com



GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF MINES

INDIAN BUREAU OF MINES

Office of Regional Controller of Mines

Karmayogi Bhavan, 4th Floor, Block-2, Sector-10A, Gandhinagar-382010, Gujarat

सं-. गुज/जूना/चू.प. - 44

<u>पंजीकृत पत्र</u>

<u>उल्लंघन पत्र</u>

दिनांक :21.08.17

सेवा में : मेसर्स रघ्वीर इंडस्ट्रीज

मुकाम व पोस्ट- C/o, देव ट्रांसपोर्ट मार्केटिंग यार्ड के पास भाटिया-361 315

ताल्का-कल्याणप्र, जिला - देवभूमि द्वारका (ग्ज.)

विषय:

गुजरात राज्य के देवभूमि द्वारका जिला में स्थित आपकी गोजिनेस चुना खान, सर्वे नंबर-78/1,क्षेत्रफल 14.40 हे. में खिनज संरक्षण व विकास नियमावली 2017 के प्रावधानों का उल्लंघन | (Mine code 38GUJ07067)

महोदय,

अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 01/07/2017 को आपकी उपरोक्त खान के निरीक्षण के दौरान खनिज संरक्षण एवं विकास नियमवाली 2017 के प्रावधानों का उल्लंघन पाया गया |

नियम स.	पाए गए उल्लंघन की विस्तृत प्रकृति
Rule 11(1)	No holder of the mining lease shall commence or carry out mining operation in any area
	except in accordance with the mining plan approved, modified or reviewed by the Indian
	Bureau of Mines
	In your case it was observed during mine inspection that mining operations were being
	carried out without approved Mining Plan/Review & updation of Mining Plan. Last Mining
	Plan was approved vide this office letter No-682(23)(85)/90-MCCM(NZ)-UDI dated
	01.02.1991 for 5 year period from the date of execution of Mining lease. Mining operations
	were started in the year 1991 hence mining plan period was implemented from 1991-92 to
	1995-96. After this no further Scheme of Mining/Mining Plan was submitted and mining
	operations were carried out without approved Mining Plan/Review of MP.
Rule 27	A financial assurance shall be furnished by the holder of the mining lease, for due and
	proper implementation of the progressive mine closure plan contained in MP/MS
	But, it is observed that the same has not been submitted to this for aforesaid mine
Rule	The holder of a mining lease shall submit online returns in respect of each mine to the
45(5)(b)	Regional Controller of Mine or any other authorized officer of the Indian Bureau of Mines
45(5)(c)	in the following manner-
	(a) A monthly Return which shall be submitted before the 10 th of every month in respect of
	the preceding month in electronic form along with a signed print copy of the same if it is
	not digitally signed, in the prescribed form
	(b) An annual Return which shall be submitted before 1st day of July each year for the
	preceding financial year in electronic form, along with signed print copy of the same if

it is digitally signed, in the respective Form

But, it is observed that, you have not submitted Monthly Returns from April-2012 onwards and Annual Returns from 2012-13 onwards to this Regional office. Therefore, you are directed to submit aforesaid returns in online system immediately through www.ibm.gov.in/index.php/auth/login.

02. इस संबंध में आपके ध्यान में लाया जाता है की उक्त उल्लंघन खनिज संरक्षण व विकास नियमावली, 1988 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है |

03. इसके अतिरिक्त नियम 45(5)(b)(c) की पालना नहीं होने पर, नियम 45(7)(a)(i) के अंतर्गत खदान की सारी संक्रियाए बंद करने हेतु, आपके विरुद्ध अभियोग दायर करने हेतु एवं खनन पट्टे को निरस्त करने हेतु राज्य सरकार से सिफारिश की जा सकती है |

अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का तत्काल सुधार कर इसकी सूचना इस पत्र के जारी होने की तिथि से 45 (पैतालीस) दिनों के अंदर इस कार्यालय को भेजे |

भवदीय,

(संजय गिरहे) वरिष्ठ खनन भूविज्ञानी कृते क्षेत्रीय खान नियंत्रक भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपि सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1. खान नियंत्रक (उ.) भारतीय खान ब्यूरो, उदयप्र |
- 2. आयुक्त, भूविज्ञान व खनन विभाग, ब्लॉक-1, 7वा माला, उद्योग भवन, गांधीनगर (गुज.), को आवश्यक कार्यवाही करने एवं इस अनुरोध के साथ की खनन पट्टा धारक को खान से खनिज निकासी /निर्गम की अनुमित केवल वैध खनन योजना होने पर ही दे जाए।
- 3. सहायक भूविज्ञानी, भू-विज्ञान एवं खान विभाग, जिल्हा सेवा सदन-1 माला, लालपुर बायपास रोड, धरमपुर, खम्बालिया-361305.
- 4. रक्षित पत्रावली |

वरिष्ठ खनन भूविज्ञानी कृते क्षेत्रीय खान नियंत्रक भारतीय